



2026:AHC:54790

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 524/2026

हर्षित वैश

..... पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता : ऋषभ श्रीवास्तव, सृजन पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

ए.एफ.आर.

चैम्बर में

दिनांक 13.02.2026 को आरक्षित

दिनांक 18.03.2026 को उद्घोषित

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता सृजन पांडे और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रयागराज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 20.11.2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है , जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा पासपोर्ट जारी करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति जारी करने हेतु दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आपराधिक न्यायालय को ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

3. इस पुनरीक्षण याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाहन चालक और याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 279, 337 और 338 भा.दं.सं. के तहत वाद संख्या 42/2022, थाना दारागंज,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिला प्रयागराज में दर्ज किया गया था। जांच के बाद , दिनांक 12.04.2024 को धारा 279, 337, 338 और 427 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया और वाद संख्या 1336/2023 के तहत विचारण न्यायालय में लंबित है। याचिकाकर्ता कार्यवाही में शामिल हुआ और उसे पहले 24.03.2022 को जमानत मिल चुकी थी।

4. आपराधिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान , याचिकाकर्ता ने सहायक पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष नया पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया। पासपोर्ट प्राधिकरण ने 03.11.2025 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण उसे पासपोर्ट जारी करने और विदेश यात्रा के लिए संबंधित न्यायालय से उचित आदेश प्राप्त करने चाहिए। परिणामस्वरूप , याचिकाकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति जारी करने हेतु आवेदन किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.11.2025 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आपराधिक न्यायालय को ऐसा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और यह भी कहा कि आवेदन अधिवक्ता के माध्यम से दायर किया गया था और स्वयं आवेदक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और भारत सरकार की दिनांक 25.08.1993 को जारी अधिसूचना (जीएसआर 570(ई)) के तहत वैधानिक योजना की गलत व्याख्या की है। उनका तर्क है कि उक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से आपराधिक न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारत से प्रस्थान करने की अनुमति देने वाले आदेश का प्रावधान है , इसलिए आपराधिक न्यायालय को ऐसे आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।

6. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. पासपोर्ट अधिनियम , 1967 की धारा 6(2)(एफ) में प्रावधान है कि पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर सकता है यदि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में कि सी आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित हो। हालांकि, यह प्रतिबंध पूर्णतः लागू नहीं होता है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 22 के तहत, केंद्र सरकार को अधिनियम के संचालन से छूट देने का अधिकार दिया गया है। उक्त शक्ति का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 25.08.1993 को अधिसूचना जीएसआर 570(ई) जारी की, जिसके अनुसार जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही लंबित है, उन्हें पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित न्यायालय से भारत से प्रस्थान की अनुमति देने वाला आदेश प्रस्तुत करें। अधिसूचना में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि न्यायालय पासपोर्ट जारी करने की अवधि निर्दिष्ट करता है, तो पासपोर्ट तदनुसार जारी किया जाएगा और यदि ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की जाती है, तो पासपोर्ट सामान्यतः एक सीमित अवधि के लिए, आमतौर पर एक वर्ष के लिए जारी किया जा सकता है।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने **वंगाला कस्तूरी रंगाचार्यलु बनाम सीबीआई 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 3549** मामले में यह माना है कि आपराधिक कार्यवाही लंबित होना पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकरण के लिए पूर्ण निषेध नहीं हो सकता है और पासपोर्ट अधिनियम की वैधानिक योजना को केंद्र सरकार द्वारा जारी छूट अधिसूचना के साथ पढ़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है और ऐसे अधिकार को केवल कानून के अनुसार ही विनियमित किया जा सकता है।

9. इस न्यायालय ने **बसु यादव बनाम भारत संघ और अन्य (2022 एससीसी ऑनलाइन ऑल 849)** और बाद में **पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ और अन्य (तटस्थ उद्धरण संख्या 2024:एचसी:9963-डीबी)** के मामलों में भी कानूनी स्थिति पर विचार किया है। उपरोक्त निर्णयों में, इस न्यायालय ने यह पाया कि यद्यपि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) पासपोर्ट प्राधिकरण को आपराधिक कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने का अधिकार देती है, लेकिन यह प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 25.08.1993 की अधिसूचना के तहत दी गई छूट के अधीन लागू होता है। यह भी पाया गया कि यदि उक्त अधिसूचना के अनुसार संबंधित न्यायालय के उचित आदेश प्रस्तुत किए जाते हैं, तो पासपोर्ट प्राधिकरण को कानून के अनुसार आवेदन पर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे आवेदनों को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए।

10. इस संबंध में एक महत्वपूर्ण हालिया घटनाक्रम विदेश मंत्रालय, पासपोर्ट नीति प्रभाग द्वारा दिनांक 06.12.2024 को जारी किया गया एक कार्यालय ज्ञापन है, जो पासपोर्ट जारी करने या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नवीनीकरण की मांग करने वाले आवेदक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। उक्त कार्यालय ज्ञापन नीचे दिया गया है:

“सं. VI/405/04/08/2024

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

(पीएसपी प्रभाग)

पटियाला हाउस एनेक्सेस, तिलक मार्ग

नई दिल्ली 6 दिसंबर 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लंबित आपराधिक मामलों/कार्यवाहियों वाले आवेदकों के पासपोर्ट आवेदनों का प्रसंस्करण

1. लंबित आपराधिक मामलों/चल रही आपराधिक कार्यवाही वाले आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में कई संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे आवेदनों के प्रसंस्करण को सरल बनाने के लिए 21 अगस्त 2014 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिस में ऐसे मामलों को निस्तारित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। ऐसे मामलों की महत्वपूर्ण संख्या को देखते हुए और विभिन्न पीआईए द्वारा ऐसे सभी मामलों को निस्तारित करने में एकरूपता बनाए रखने के लिए, इन दिशानिर्देशों को दोहराने की आवश्यकता महसूस की गई है।

2. पासपोर्ट अधिनियम 1967 (अधिनियम) को संसद द्वारा पासपोर्ट जारी करने को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 6 में उन आधारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है जिनके आधार पर किसी आवेदक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज देने से इनकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) विशेष रूप से निर्दिष्ट करती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि पासपोर्ट प्राधिकरण किसी भी विदेशी देश की यात्रा के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से इनकार कर देगा , यदि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में भारत में किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित है।

3. अधिनियम की धारा 22 में यह प्रावधान है कि “जहां केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक या उचित है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है, (क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से छूट दे सकती है , और (ख) जितनी बार हो सके , ऐसी किसी भी अधिसूचना को रद्द कर सकती है और फिर से इसी तरह की अधिसूचना द्वारा उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसे प्रावधानों के संचालन के अधीन कर सकती है।

4. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम , 1967 की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आधिकारिक राजपत्र (जीएसआर 570(ई) दिनांक 25.08.1993) प्रकाशित किया , जिसमें आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे भारत के नागरिकों को अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के संचालन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी गई:-

(I) जो संबंधित न्यायालय से उन्हें भारत से प्रस्थान करने की अनुमति देने वाले आदेश प्रस्तुत करते हैं:

(II) ऐसे पासपोर्ट आवेदनों की वैधता: (a) न्यायालय के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए (b) यदि पासपोर्ट जारी करने या विदेश यात्रा के लिए कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है , तो पासपोर्ट एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा (c) यदि ऐसा आदेश एक वर्ष से कम अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देता है , लेकिन पासपोर्ट की वैधता अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है, तो पासपोर्ट एक वर्ष के लिए जारी किया जाएगा (d) यदि ऐसा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



आदेश एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देता है, तो पासपोर्ट आदेश में निर्दिष्ट विदेश यात्रा की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

(III) उक्त नागरिक पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण को लिखित में वचन देता है कि यदि संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता हो, तो वह जारी किए गए पासपोर्ट की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय उसके समक्ष उपस्थित होगा।

5. उक्त राजपत्र अधिसूचना पासपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध है और इसे <https://passportindia.gov.in/> पर देखा जा सकता है - पासपोर्ट अधिनियम और नियम अधिसूचनाएँ - आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान पासपोर्ट जारी करना।

6. उपरोक्त पैरा 4(iii) और जीएसआर 570(ई) में निर्धारित अनुसार, ऐसे आवेदक को भारत से प्रस्थान करने के लिए संबंधित न्यायालय की अनुमति और सादे कागज पर लिखित वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। वचन पत्र का प्रारूप <https://passportindia.gov.in> - फॉर्म और शपथ पत्र - जीएसआर 570(ई) के अनुसार वचन पत्र पर देखा जा सकता है।

7. जब भी कोई आवेदक जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही लंबित है, पासपोर्ट सेवाओं के लिए किसी पीआईए से संपर्क करता है, तो उसे राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति और वचन पत्र प्रदान किया जा सकता है ताकि राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उपरोक्त पैरा 4(i) और 5 में उल्लिखित अनुसार इन्हें प्रस्तुत करने पर, उसके पासपोर्ट आवेदन पर जीएसआर 570(ई) दिनांक 25.08.1993 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पासपोर्ट जारी करने के लिए संबंधित न्यायालय से अनुमति/एनओसी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि यह भारत से प्रस्थान करने की अनुमति है। यदि आवेदक निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कराने में असमर्थ है, तो पीआईए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 के तहत अस्वीकृति आदेश जारी कर सकता है, जिसमें अपील का प्रावधान है।

9. यदि आवेदक के भारत से प्रस्थान पर न्यायालय का कोई आदेश है , तो पीआईए पासपोर्ट अधिनियम , 1967 की धारा 6(2)(जी) के तहत निर्धारित अनुसार अस्वीकृति आदेश जारी कर सकता है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अन्य पासपोर्ट आवेदकों पर लागू होने वाले अन्य दस्तावेज/आवश्यकताएं भी मांगी जानी आवश्यक हैं।

(डॉ. के.जे. श्रीनिवासा)

संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं

मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

दूरभाष: 23387013

प्रति: भारत में पासपोर्ट जारी करने वाले सभी प्राधिकरण”

11. उपर्युक्त कार्यालय जापन में दी गई स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकरण के लिए आपराधिक न्यायालय से सामान्य "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। हालांकि , जहां आपराधिक कार्यवाही लंबित है , वहां अधिसूचना जीएसआर 570(ई) के तहत छूट तभी लागू होती है जब आवेदक संबंधित न्यायालय का भारत से प्रस्थान की अनुमति देने वाला आदेश प्रस्तुत करता है।

12. उपर्युक्त वैधानिक ढांचा और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकुल मित्तल बनाम भारत संघ (डब्ल्यूपी(सी) 6612 ऑफ 2025 और संबंधित मामले) में 02.02.2026 को विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसमें यह माना गया कि 1993 की अधिसूचना के तहत आवश्यकता केवल पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं है, बल्कि आपराधिक न्यायालय का आवेदक को भारत से प्रस्थान की अनुमति देने वाला आदेश है। आगे यह भी देखा गया कि जिस आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही लंबित है, वही इस बात पर विचार करने के लिए उपयुक्त मंच है कि क्या ऐसी अनुमति दी जा सकती है और यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. उपर्युक्त वैधानिक ढांचा और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकुल मित्तल बनाम भारत संघ (डब्ल्यू.पी.(सी) 6612 ऑफ 2025 और संबंधित मामले) में 02.02.2026 को विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। यह माना गया कि 1993 की अधिसूचना के तहत आवश्यक शर्त केवल पासपोर्ट जारी करने के लिए अनुमति पत्र (एनओसी) नहीं है, बल्कि आपराधिक न्यायालय का वह आदेश है जो आवेदक को भारत से प्रस्थान करने की अनुमति देता है। यह भी कहा गया कि जिस आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही लंबित है, वही यह विचार करने के लिए उपयुक्त मंच है कि क्या ऐसी अनुमति दी जा सकती है और यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन।

14. दिनांक 20.11.2025 के विवादित आदेश से संकेत मिलता है कि विचारण न्यायालय ने केवल इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार का तर्क विधिक व्यवस्था की गलत समझ पर आधारित है और कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है। आपराधिक न्यायालय को यह जांच करने का स्पष्ट अधिकार है कि क्या अभियुक्त को भारत से प्रस्थान करने की अनुमति दी जा सकती है और ऐसी अनुमति की शर्तें या अवधि निर्दिष्ट करने का भी अधिकार है।

15. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, प्रयागराज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 20.11.2025 को पारित आदेश मान्य नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

16. तदनुसार, दिनांक 20.11.2025 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और मामले को याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाता है। विचारण न्यायालय पासपोर्ट अधिनियम, 1967, अधिसूचना जीएसआर 570(ई) दिनांक 25.08.1993, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.12.2024 और **वंगाला कस्तूरी रंगाचार्युनु (उपरोक्त)** में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, भारत से प्रस्थान की अनुमति प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य से आवेदन की जांच करेगी।

17. आवेदन पर विचार करते समय, विचारण न्यायालय याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति दे सकती है या अस्वीकार कर सकती है और यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो वह उस अवधि को निर्दिष्ट कर सकती है जिसके लिए ऐसी यात्रा की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि याचिकाकर्ता की सुनवाई के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्तें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लागू हों। यदि विचारण न्यायालय अनुमति तो दे देती है लेकिन वैधता अवधि निर्दिष्ट नहीं करती है, तो पासपोर्ट प्राधिकरण अधिसूचना जीएसआर 570(ई) दिनांक 25.08.1993 के अनुसार कार्य करेगा, जिसमें यह प्रावधान है कि पासपोर्ट सामान्यतः एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किया जा सकता है।

18. विचारण न्यायालय इस आवेदन का शीघ्रता से , अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निर्णय करेगी।

19. उपरोक्त सीमा तक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

18 मार्च, 2026

सचिन मिश्रा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।